मलिन बस्ती में रहने वाले बाल श्रमिकों के पारिवारिक समायोजन का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन: आगरा शहर (गोकुलपुरा और आलमगंज) के विशेष संदर्भ में

दयालबाग शिक्षण संस्थान (डीम्ड विश्वविद्यालय)

के अन्तर्गत पीएच.डी. (समाजशास्त्र) की

उपाधि हेतु प्रस्तावित रूपरेखा

शोधार्थिनी

रेनू कुमारी

शोध निर्देशक

डॉ0 परविन्द्र कुमार

असिस्टेंट प्रोफेसर

समाजशास्त्र एवं राजनीति विज्ञान विभाग

समाज विज्ञान संकाय

समाजशास्त्र एवं राजनीति विज्ञान विभाग, समाज विज्ञान संकाय

दयालबाग शिक्षण संस्थान (डीम्ड विश्वविद्यालय)

दयालबाग, आगरा - 282005

2022

प्रस्तावना -

किसी भी राष्ट्र की उन्नति, राष्ट्र में रहने वाले बालकों पर अन्तर्निहित होती है । बालक राष्ट्र की अमूल्य सम्पदा, राष्ट्र के स्वरूप तथा ताकत हैं जिस पर राष्ट्र की आधारशिला सुरक्षित रहती है । किसी भी देश का बाल समाज जितना क्रियाशील, स्वस्थ्य, अनुशासित तथा प्रशिक्षणयुक्त होगा देश का भविष्य उतना ही प्रगतिशील तथा होगा । यदि बाल समाज इन गुणों से विमुक्त हैं तो आने वाला भविष्य उस राष्ट्र को पतनोन्मुख करने वाला होगा । **कुलश्रेष्ठ (1978)** बालकों को छोटी उम्र में ही श्रम पर लगाया जाता है तो इस प्रकार उनका अस्तित्व नष्ट हो जाता है और उनकी सही तरीके से शिक्षण प्रणाली एवं निर्देशन की व्यवस्था न होने के कारण अयोग्य बालक रह जाते हैं और देश को उनसे पूर्ण लाभ नहीं मिल पाता । बाल श्रमिकों को जिन नियमों एवं परिस्थितियों के आधार पर श्रम पर लगाया जाता है वह दोषपूर्ण है ।

रमेश चन्द्र (1961) औद्योगिक युग के प्रारम्भ काल से भारत में बालकों का श्रमिक के रूप में उपभोग कृषि के साथ-साथ कारखानों, होटलों तथा अन्य व्यवसायों में होने लगा । व्यस्क लोगों का बेरोजगार होना अथवा रोजगार में अवसरों की कमी होने के कारण उन्हें पारिवारिक आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ता है । बाल श्रम न्यूनतम मजदूरी को जन्म देता है जिसका प्रभाव व्यस्कों पर पड़ता है जिससे उन्हें गरीबी का सामना करना पड़ता है । अगर बाल श्रम समाप्त कर दिया जाए तो बाल श्रमिकों के स्थान पर व्यस्क बेरोजगार रोजगार प्राप्त करने में सक्षम हो सकेगें । **लवानिया एवं जैन (2006)** नगरीकरण तथा औद्योगीकरण के फलस्वरूप समाज में शिक्षा, वैज्ञानिक तकनीकि ज्ञान प्राप्त हुआ, दूसरी तरफ कुपोषण, गंदी बस्ती, बेईमानी, निम्न जीवन स्तर भी तीव्र गति से बढ़ता गया । इस कारण गाँव से अकुशल श्रमिकों की भारी संख्या में प्रवास होने से बाल श्रमिकों की संख्या में बढ़ोतरी होने लगी है ।

कुमार (2008) बाल श्रमिकों तथा मालिकों के बीच संबंध असंतोषजनक होता है क्योंकि मालिक मजदूरों से अत्यधिक काम के साथ-साथ अच्छें काम की भी अपेक्षा रखते है, किसी कारणवश किसी कार्य की पूर्ति न होने पर उन्हें कार्य से वंचित करने की हमेशा धमकी दिया करते हैं । बाल श्रमिकों को अपने जीविकोपार्जन के लिए

कोई अन्य साधन न होने के कारण विवश होकर अपना पसीना बहाकर अधिक से अधिक समय तक कार्य करके अधिक लाभ प्राप्त करना चाहते हैं । इस प्रकार अनेक अवैधानिक व्यवसाय हैं जिनमें बाल श्रमिकों को लगाया जाता है । श्रमिकों के साथ इस प्रकार की स्थिति के कारण उनके स्वास्थ्य, उनकी कार्य कुशलता,औद्योगिक विकास, श्रम व पूँजी के बीच संबंध, उत्पादकता, औद्योगिक शांति, राष्ट्रीय आय आदि पर गहरा असर पड़ता है। बालश्रम निवारण अधिनियम 1986 में संशोधन कर ढाबों, घरों, होटलों में बालश्रम करवाने को दंडनीय अपराध की श्रेणी में रखा गया है । विश्व बाल श्रम निषेध दिवस की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा वर्ष 2002 में की गयी थी । इस दिवस का मुख्य उद्देश्य बाल श्रम की वैश्विक स्थिति पर ध्यान देना तथा बालश्रम को पूर्ण रूप से खत्म करने के लिए सकारात्मक प्रयास है । इसके बाद 1987 में बाल मज़दूरी के लिये एक नीति बनाई, जिसमें जोखिम भरे व्यवसाय तथा प्रक्रियाओं में फँसे बच्चों के पुनर्वास पर ध्यान देने पर जोर दिया गया तथा साथ ही बाल मज़दूरी के प्रति जागरूकता फैलाने का प्रयास किया गया । अक्टूबर 1990 में न्यूयोर्क में इस विषय पर एक विश्वशिखर सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें 151 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और गरीबी, भुखमरी, कुपोषण के शिकार, दुनियाभर के बच्चों की समस्याओं पर विचार-विमर्श किया गया ।

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है जिसमें अकेले उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 19,98,12,341 करोड़ है जिसमें से 21.80 लाख बाल मजदूरों की संख्या है, जो स्वतंत्र भारत में आज भी स्वतंत्र न रहकर गुलामी का जीवन व्यतीत कर रहे हैं । भारत के विभिन्न राज्यों में ऐसे उद्योग हैं जहाँ केवल बाल श्रम केन्द्रित है । इन उद्योगों की संख्या 10 करोड़ के आस-पास है । भारत के बच्चों का भविष्य इन्ही कुछ चन्द उद्योगों में खराब हो रहा है । 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में 5 से 14 साल के 25.96 करोड़ बच्चे हैं जिनमे से 1.01 करोड़ बच्चे बालश्रमी हैं । यूनिसेफ के अनुसार - दुनियाभर के कुल बाल श्रमिकों में 12 फीसदी अलेके भारत में हैं । बालश्रम की समस्या हमारे देश के लिए चुनौती बनती जा रही है । बालश्रम करवाना अपराध है, यह गम्भीर समस्या है, जो गरीबी, निरक्षरता और चेतना की कमी से जुड़ी है । समाज में इस समस्या के निराकरण के लिए समाज के सभी वर्गों को जागरुक कराने की आवश्यकता है । भारतीय

संविधान का अनुच्छेद 24 - कारखानों अथवा अन्य खतरनाक कार्यों में 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों से मज़दूरी करवाने पर विशिष्ट रूप से निषेध करता है ।

देश का भविष्य बच्चे होते है किन्तु कुछ बच्चे खेलने-कूदने अथवा स्कूल जाने की उम्र में अपना बचपन मजदूरी करते हुए बिताते हैं, अपना पेट भरने के लिए दो वक्त की रोटी कमाने के लिए श्रम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं । बाल श्रमिक केवल श्रमिक बनकर ही अपनी जिन्दगी को न्यौछावर कर देते हैं, वो प्यारे नन्हे-मुन्ने बच्चे कोमल फूल की तरह नाजुक होते हैं, श्रम करना उनका सर्वप्रथम उद्देश्य बन जाता है । बालिकाएँ अपने घर पर काम करती है और बाद में अन्य घरों की साफ-सफाई के लिए जाती है । बाल श्रमिक अपने परिवार के सदस्यों का पेट भरने के लिए अपने बचपन को अपने ही हाथों से मजदूरी के दलदल में झौंक देते है। छोटे-छोटे बच्चे भवनों के निर्माण में ईट गारे का काम, फैक्ट्रियों में मजदूरी, बड़े घराने के लोग उन्हे नौकरों के रूप में काम पर रख लेते हैं, सामान बेचने का काम आदि अनेक कार्यों को करने में अपना सारा जीवन समर्पित कर देते हैं। लोग बच्चों को काम पर रखना ज्यादातर चाहते हैं क्योंकि बच्चे काम अधिक करते हैं और मजदूरी कम देनी पड़ती है। बालक-बालिकाओं को सामाजिक, मानसिक, शारीरिक तथा बौद्धिक अनेक यातनाओं का सामना करना पड़ता है। बाल श्रम को रोकने तथा उस पर अंकुश लगाने के लिए अनेक कानून लागू किये हैं, लेकिन उनका कोई भी परिणाम सामने नहीं आ रहा है और न ही बाल श्रमिकों की संख्या कम हो रही है, बल्कि दिन-प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है । आज उद्योगपति, मालिक खुलेआम बिना भय के निडर होकर बाल श्रमिकों को श्रम करने के लिए रख लेते हैं और पकड़े जाने पर घूस तथा रिश्वत देकर सामने वाले का मुँह बन्द कर देते हैं । इसका कारण है देश में बढ़ता भ्रष्टाचार, झूँठ, रिश्वतखोरी, असमानता तथा गरीबी का व्याप्त होना।

देश में बाल श्रमिकों को यदि इसी स्थिति में छोड़ दिया जाए तो, अवश्य ही देश का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा और ये शिक्षित नहीं हो पायेगें जिसके परिणाम देश में बेरोजगारी का बढ़ना तथा गरीबी का फैलना । देश आगे बढ़ने की बजाय पीछे चला जाएगा । देश को इस श्रम रूपी अभिशाप से बचाना है तो इसके लिए हमे जन चेतना लानी होगी, लोगों को जाग्रत करने की परम आवश्यकता है ताकि सभी लोग अपने बच्चों को श्रम

रूपी दलदल से बचाकर स्कूल या पाठशाला भेजें जिससे उन्हें ज्ञान प्राप्त हो, शिक्षा प्राप्त कर आगे बढ़ें और देश को भ्रष्टाचार, बेरोजगारी तथा गरीबी रूपी दीमक से बचाकर उज्ज्वल भविष्य की और अग्रसित कर सकें । माता-पिता को इस सच्चाई से अवगत कराने की विशेष रूप से आवश्यकता है ।

भारत में बाल मजदूरी उन्मूलन हेतु किये जा रहे सरकारी प्रयास

बाल श्रम को रोकने के लिए पूरी दुनिया एन्टीचाइल्ड लेबर डे सेलिब्रेट कर रही है । इसका शुभारंभ 2002 में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को बाल मजदूरी के दलदल से निकालकर शिक्षा दिलाने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने की थी । लेकिन आज 18 वर्ष के समाप्त होने के बाद भी बाल मजदूरी पर लगाम लगाना मुश्किल लग रहा है।

1. बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम 1986 - भारत सरकार ने बाल श्रम को पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए 1986 में चाइल्ड लेबर एक्ट बनाया है जिसमे 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम करवाना दण्डनीय अपराध है।

2. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2000 - इस कानून के अंतर्गत कोई मनुष्य बच्चों से मजदूरी करवाता अथवा मजदूरी करवाने के लिए मजबूर करता है तो उस व्यक्ति पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

3. निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 - 2009 मे यह कानून बनाया गया, जिसके अन्तर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान की जायगी और इसके साथ ही प्राईवेट स्कूलों में विकलांग और गरीब बच्चों के लिए 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित होगीं।

4. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 - इस अधिनियम के अन्तर्गत बाल श्रम अधिनियम 1986 में संशोधन करने के बाद खतरनाक क्षेत्रों की संख्या 83 से घटाकर केवल 3 क्षेत्र ही खतरनाक बताये हैं, जहाँ किशोर काम नहीं कर सकते। खनन, ज्वलनशील पदार्थ तथा खतरनाक प्रक्रियाओं में इन तीन क्षेत्रों में किशोरों को काम करने पर पाबन्दी हैं।

5. बाल श्रम निषेध एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2016 - 1986 में संशोधन कर बालश्रम संशोधन बिल 2012 में राज्य सभा में पेश किया गया जिसे वर्ष 2016 में लोकसभा तथा राज्य सभा दोनों सदनों से मंजूर कर दिया गया । यह संशोधन कुछ व्यवसायों में काम करने पर बच्चों पर रोक लगाता है और बच्चों को दूसरे व्यवसायो में काम करने की स्थिति नियमित करता है। बालश्रम कानून 2016 में छूट दी गई है कि पारिवारिक व्यवसाय में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे काम कर सकते हैं।

6. बालश्रम संशोधन अधिनियम 2017 - इस अधिनियम के अन्तर्गत बालश्रम कानून 2016 की आलोचना के बाद खतरनाक व्यवसायों की संख्या 83 से घटाकर 3 कर दी गई और बच्चों को पारिवारिक व्यवसाय में काम करने की इजाज़त दी गई।

- बच्चे स्कूल के बाद 5 घण्टे ही पारिवारिक व्यवसायो में मदद कर सकेगें ।
- सुबह 8 और शाम 7 बजे के बीच पारिवारिक उद्योगों में मदद नहीं कर सकेगें।
- बच्चों को एक दिन में केवल 5 घण्टे और बिना आराम के 3 घण्टे काम करने की मंजूरी दी गई है।
- किशोरों को वाणिज्यिक व्यवसाय में काम करवाने के लिए हर 6 महीने में जिला मजिस्ट्रेट से इजाज़त लेनी होगी।

7. बच्चों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2018) में आमूल-चूल परिवर्तन किया है जिसके अन्तर्गत बाल मजदूरी के समाधान के लिए कई कानूनी प्रावधान किये हैं और साथ ही शिक्षा और पुनर्वास से संबन्धित कई कार्यक्रमों को जोड़ा है।

8. विश्व बालश्रम निषेध दिवस 2019 - कृषिक्षेत्र में काम करने वाले बच्चों के विकास पर केन्द्रित है । हर क्षेत्र में बालश्रम मौजूद है लेकिन कृषिक्षेत्र मे अधिक है 10 में से 7 बच्चे कृषिक्षेत्र में श्रमिक है। इण्टरनेशनल लेबर आर्गेनाईजेशन ने 2019 में विश्व बालश्रम निषेध दिवस मनाया जिसके जरिए बच्चों को सभ्य काम और सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया जा सके।

9. विश्व बालश्रम निषेध दिवस 2020 - इस वर्ष विश्व बालश्रम निषेध दिवस कोविड-19 महामारी के कारण आभासी अभियान के माध्यम से मनाया जा रहा है। जो ग्लोबल मार्च अगेंस्ट चाइल्ड लेबर तथा इण्टरनेशनल पार्टनरशिप फॉर कार्पोरेशन इन चाइल्ड लेबर इन एग्रीकल्चर तत्वावधान में आयोजित किया जायेगा।

अवधारणाओ का स्पष्टीकरण -

- मलिन बस्ती - **बर्गेल के अनुसार** - नगर के बीच निम्न निवास व्यवस्था पाई जाए तो उसे मलिन बस्ती कहते हैं । **राधाकमल मुखर्जी के अनुसार** - यह बस्तियाँ वे स्थान हैं, जिनमें मनुष्यता का निंदयतापूर्वक गला घुट रहा हैं, नारीत्व का अपमान तथा प्रारम्भ से ही बच्चों के जीवन में जहर घुल रहा है। गंदी बस्तियाँ एक ऐसा निवासीय क्षेत्र हैं जहाँ निवास स्थान की कमी तथा अत्यधिक भीड़-भाड़ युक्त हो और जहाँ रोशनदान, साफ-सफाई एवं प्रकाश का अभाव हो । वही क्षेत्र गंदी बस्ती के अंर्तगत आते हैं ।

अतः जहाँ स्वस्थ्य वातावरण की कमी, नालियों, शुद्ध पेयजल तथा अन्य जरूरतमंद आवश्यकताओं का अभाव होता है, वही क्षेत्र मलिन बस्ती के अन्तर्गत आते हैं ।

- बाल श्रम - जो बच्चे कम उम्र के होते हैं उनसे उनका शिक्षा का अधिकार, बचपन, खेल-कूद छीनकर काम पर लगाकर, कम रुपयों में काम करा कर उनका शोषण कर उन्हें शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है, बाल श्रम कहलाता है । भारत के संविधान 1950 के 24 वे अनुच्छेद के अनुसार- 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से मजदूरी, कारखानों, ढाबों, हटलों, घरेलू नौकर आदि के रूप में काम करवाना बाल श्रम के अन्तर्गत आता है ।
- बाल श्रमिक - **जे. सी. कुलश्रेष्ठ (1978)** श्रम की वह अवस्था, जिसमें बालकों को लाभप्रद व्यवसाय की सेवारत अवस्था प्राप्त होती है और उस काल में उसके शारीरिक तथा मानसिक विकास को नुकसान पहुँचता है । बाल श्रम में तीन शर्तों को आवश्यक बताया है, क- बालक की लाभप्रद व्यवसाय में सेवारत होना, ख- कार्य की अवस्था का नुकसानयुक्त होना, ग- मौलिक विकास का अवसर प्राप्त न होना ।

- पाविारिक समायोजन - सदस्यों के मध्य समरसता, जागरुकता, एकता, उन्नति, मानसिक तथा आर्थिक संतुष्टि का होना ।

सम्बन्धित साहित्य का पुनर्वालोकन -

रॉस (1961) ने नगरीय क्षेत्र में उच्च तथा मध्यमवर्गीय परिवारों की संरचनात्मक और परिवर्तनशील स्वरूप का अध्ययन किया है । इन्होने बंगलौर में 157 परिवारों का अध्ययन साक्षात्कार के आधार पर किया और उत्तरदाताओं से कहा कि अपने परिवार की रचना का वर्णन दो अवधियों में करें । पहला अपने बचपन के समय का और दूसरा साक्षाताकार के समय का आकार के आधार पर करें । साक्षातकार के आधार पर निष्कर्ष आया कि भारत में आज परम्परागत संयुक्त परिवारों का विखण्डन होकर एकांकी परिवारों की ओर अग्रसर हो रहे हैं । भारत में लघु संयुक्त परिवार अब पारिवारिक जीवन का एक विशिष्ट मानक है । नगर में रहकर पुत्र अपने संबंधियों से दूर हो रहे हैं तथा दूर के रिश्तेदार का महत्व कम हो रहा है । एकांकी परिवारों में नियंत्रण संयुक्त परिवार की अपेक्षा कम रहता है ।

देसाई (1964) ने भारत में संयुक्त परिवार का अध्ययन संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण से किया है । इन्होने 1964 में संयुक्त परिवार का अध्ययन सोराष्ट्र के महुआ जिले में किया । देसाई ने संयुक्त परिवार की एक कसौटी संयुक्तता को निर्धारित किया है कि संयुक्त परिवार के सदस्यों की संयुक्तता कितनी है और सदस्यों का संयुक्तता के प्रति कैसा अभिस्थापन है । परिवार में संबंधों की संयुक्तता और क्रियाओं का अभिस्थापन अध्ययन किया है । उनके अध्ययन का मुख्य आधार सदस्यों की अंतः क्रियाएँ हैं । देसाई ने संयुक्त परिवार के आनुभविक स्तर के आधार पर अध्ययनरत यह देखा कि परिवार के सदस्यों की क्रियाओं का अभिस्थापन किस सदस्य के प्रति है, यह कौन निर्धारित करता है, और सदस्यों के संबंध किस प्रकार लोगों को एक सूत्र में बाँधे रखते हैं ।

त्रिपाठी (1965) ने विभिन्न कार्यों में कार्यरत बाल श्रमिकों की कार्य प्रकृति का अध्ययन किया है । बाल श्रमिकों के जीवन के विभिन्न पक्षों पर स्वास्थ्य की दृष्टि से विचार किया है । उनके स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों का

वर्णन किया है । बाल श्रमिकों द्वारा खानों में, कारखानों में, लघु उद्योगों में, चाय की दुकानों आदि अनेक स्थानों पर कार्य के समय होने वाली शारीरिक, मानसिक समस्याओं को उजागर किया है । बाल श्रमिकों के जीवन में होने वाली समस्याओं के समाधान, उनके कल्याण तथा सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा सुधार के प्रयासों को पुस्तक में अवतरित किया है ।

गोरे (1968) इन्होने संरचनात्मक दृष्टि से हरियाणा में बसे 499 अग्रवाल परिवारों का अध्ययन किया है । मुख्य निदर्शन के रूप में 399 परिवारों का अध्ययन किया, इन परिवारों के सदस्य पारम्परिक व्यवसायों तथा महाजनी के कार्यों में लगे हुए हैं अपेक्षाकृत कम शिक्षित हैं । ये परिवार ग्रामीण, नगर तथा अन्य स्थानों में निवास करते हैं और अतिरिक्त निदर्शन के रूप में 100 परिवारों को चुना जो नगरों में रहकर गैर परम्परागत व्यवसाय करते हैं और अधिक पढ़े-लिखे हैं । गोरे ने अपने अध्ययन में 499 परिवारों के अध्ययनोपरांत संयुक्त परिवार और एकांकी परिवार को छाँटते हुये निष्कर्ष रूप में पाया कि ये दोनों प्रकार के परिवार अन्य सभी परिवारों में अपनी छाप छोडे हुये है । एक परिवार जिसमें पति-पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे हैं और दूसरा जिसमें पति उसकी पत्नी तथा अविवाहित और विवाहित बच्चे निवास करते हैं ।

शाह (1973) ने भारतीय परिवारों का संरचनात्मक प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण से अध्ययन किया है । परिवार तथा घराना में महत्वपूर्ण अंतर किया है । भारत में संरचनात्मक रूप से संयुक्त परिवारों में पिता और उनके पुत्र, पिता तथा उनकी पत्नियाँ अपने बच्चों के साथ सामान्य निवास में रहकर एक ही रसोई का प्रयोग करते हैं । इन परिवारों का आकार बड़ा होता है तथा संपत्ति सामान्य होती है । प्रकार्यात्मक रूप से एक साथ मिलकर सामूहिक उत्सव तथा कर्मकाण्ड करते हैं, कर्ता की भूमिका प्रमुख होती है घराने के सदस्य एक दूसरे के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होते हैं और सामाजिक व्यवस्था बनाये रखने में परिवार के प्रत्येक सदस्य अपनी भूमिका निभाते हैं । भारतबर्ष में संयुक्त परिवार तथा नाभिकीय घराना के सांस्कृतिक प्रतिमान साथ-साथ रहते हैं, लेकिन अब बदलती परिस्थियों के कारण संयुक्त परिवार की संरचना तथा संयुक्तता की भावना में परिवर्तन आ रहा है।

मुखर्जी (1975) मुखर्जी ने पश्चिमी बंगाल में संयुक्त परिवार का अध्ययन संरचनात्मक परिवर्तनशील दृष्टि से किया है । पश्चिमी बंगाल के संयुक्त परिवारों में सदस्य एक साथ मिलकर दिनचर्या की गतिविधि सम्पन्न करते हैं और एक दूसरे के प्रति कर्तव्यनिष्ठा रखते हैं । परिवार का एक मुखिया होता है जो सभी सदस्यों की क्रिया निर्धारित करता है तथा संपत्ति का स्वामित्व भी उसी के पास होता है । मुखिया की आज्ञा का पालन स्वाभाविक रूप से किया जाता है । मुखर्जी ने अध्ययन के दौरान निष्कर्ष निकाला कि संयुक्त परिवार की संरचना समय के साथ एकांकी परिवारों में बदलती जा रही है । संयुक्त परिवार का स्थान एकांकी परिवार द्वारा लेना आश्चर्यजनक नहीं है यह प्रकिया धीर-धीरे शुरू होती आई है ।

बेब (1975) ने अपनी पुस्तक सोशल लाइफ इन एन इण्डियन स्लम में मलिन बस्तियों की शैक्षिक स्थिति का विस्तृत वर्णन किया है। शैक्षिक स्थिति को उजागर करते हुए लिखा है कि मलिन बस्तियों के अध्यापकों को वेतन अच्छा प्राप्त होता है लेकिन फिर भी वे बच्चों को शिक्षा देने में रुचि नहीं लेते हैं। बच्चों के माता-पिता भी उन्हें काम में लगाकर अपनी जिम्मेदारी का भार डाल देते हैं और उन्हें विद्यालय भेजने के प्रोत्साहन के स्थान पर तिरस्कार कर दिया जाता है। वहाँ के विद्यालयों में पढ़ने जाने वाले बच्चों की संख्या बहुत कम होती है, विद्यालय मे सिर्फ 4 या 5 बच्चे ही पाये जाते हैं, लड़कों की अपेक्षा लड़कियाँ कम पढ़ती हैं उनकी पढ़ाई जल्दी छूट जाती है।

कॉलेण्डा (1982) कॉलेण्डा ने संरचनात्मक दृष्टिकोण से सन् 1967 सें 1982 तक भारतीय परिवार की संरचना पर कई फुटकर निबंध लिखे हैं । उन्होंने इस निबंध का संकलन अपनी पुस्तक - रीजनल डिफरेंसेज इन फैमिली स्ट्रेक्चर इन इण्डिया 1987 में प्रकाशित किया है । कॉलेण्डा ने अपना अध्ययन संयुक्त परिवार पर क्षेत्रीय अंतरों के आधार पर संस्कृति के आधार पर किया है । उन्होनें 26 परिवारों का अध्ययन किया । वह हर क्षेत्र की संस्कृति को भलिभाँति पहचानती थी । संयुक्त परिवारों की संरचना से संबंधित एक ही आवास, एक ही चूल्हा, सामान्य सम्पत्ति आदि की अवधारणाओं को लेकर अध्ययन किया है । उन्होंने सामाजिक संरचना और क्षेत्रीयता के घनिष्ट

संबंधों पर अधिक जोर दिया है । अपने अध्ययन में स्थापित किया है कि परिवार की संरचना संयुक्त हो या एकांकी उस पर क्षेत्रीय संस्कृति का प्रभाव अवश्य पड़ता है ।

सिंह और पठान (1982) ने अपनी पुस्तक द स्लम चिल्ड्रन ऑफ इण्डिया में मलिन बस्तियों में रहने वाले बच्चों के जीवन से सम्बन्धित अनेक प्रकार के सामाजिक एवं चिकित्सकीय पक्षों को उजागर किया है। इन बच्चों को भी स्वतंत्र जीवन जीने के साथ-साथ मानसिक, शारीरिक एवं सावेंगिक विकास का जन्मजात अधिकार है लेकिन यह अधिकार उनके अभिभावकों द्वारा ही छीना जाता है। गरीबी, कार्यशीलता एवं अपनी अशिक्षा के कारण ही अपने बच्चों से यह अधिकार छीन लेते हैं। बच्चों की स्थिति मे सुधार का का उत्तरदायित्व परिवार एवं समाज का है ताकि बच्चों का सावेंगिक विकास हो सके ।

राव एवं राव (1984) सिटीज एण्ड स्लम्स पुस्तक में मलिन बस्तियों के बच्चों की शिक्षा से सम्बन्धित अध्ययन किया है। मलिन बस्तियों मे शिक्षा के विषय मे बच्चों की सबसे अधिक बुरी दशा होती है, जो कि उनके उज्जवल भविष्य को प्रकाश देने का सुखद एकमात्र साधन होता है। इन बस्तियों मे विद्यालय नहीं है और अगर कोई विद्यालय है भी तो उनमें अध्यापक बच्चों को पढ़ाने नहीं आते हैं अधिकतर अध्यापकों की अनुपस्थिति ही पाई जाती है। अध्यापकों का बच्चों के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण होता है, बच्चों को शिक्षित करने में उनकी रुचि बिल्कुल नहीं होती है, मलिन बस्तियों के बच्चों को शिक्षा देना अध्यापक एक बोझ का कार्य समझते हैं।

त्रिपाठी (1989) ने अपने अध्ययन में बाल श्रमिकों के संदर्भ में स्पष्ट किया है कि उत्तर प्रदेश के, मिर्जापुर, इलाहाबाद तथा वाराणसी जिले के लगभग 1 लाख से अधिक बाल श्रमिक कालीन उद्योगों में श्रम करने में संलग्न हैं । श्रम करते समय बालकों को जिन कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है उनका वर्णन इस पुस्तक में किया है कि किस प्रकार इन मासूम बालकों को अत्यधिक नगरीय वातावरण में, स्वच्छ वातावरण तथा सफाई से दूर कई घण्टों श्रम करना पड़ता है ।

धदावे (1989) ने अपनी पुस्तक में मलिन बस्तियों का समाज पर पड़ने वाले प्रभावों तथा प्रभावों के निवारण के लिए सुझावों का अध्ययन किया है । सामाजिक सुधार के लिए शिक्षा में सुधार, सामाजिक सुधार, आर्थिक सुधार

तथा सभ्यता में सुधार लाने की आवश्यकता को वर्णित किया है । सामाजिक तथा नगरीय क्षेत्र में सामाजिक संरचना को प्रभावित करने के लिए भूमण्डलीकरण के परिणामों ने अपना प्रभाव डाला है परिणामस्वरूप स्वस्थ्य वातावरण का अभाव, सामाजीकरण की निम्न स्थिति, पारिवारिक जीवन का निम्नस्तरीय होना आदि । मलिन बस्तियों में मनुष्यों की जीवनशैली तथा उनकी अवनति के कारणों कों अपने अध्ययन में बताया है ।

शाह (1992) ने बाल श्रमिकों के संदर्भ में लिखा है कि बाल श्रमिकों की कार्य प्रकृति में पृथकता पाई जाती है । श्रम के क्षेत्र में इनकी बढ़ती संख्या व अभिभावकों के लिए एक साधन के रूप में कार्य करने के लिये बालकों की जो जिम्मेदारी बन जाती हैं उनका वर्णन किया है । भारत में बाल श्रमिकों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है, यहाँ यह स्थिति विकराल रूप धारण किए हुए है । देश में कम रुपयों में काम करने के लिए बाल श्रमिक आसानी से मिल जाते हैं । इस स्थिति में कुछ अभिभावकों का स्वार्थी व्यवहार भी बाल श्रमिकों की इस दशा के लिए जिम्मेदार है । इन्हीं तथ्यों को उजागर कर समाज को अवगत कराने का प्रयास अपनी पुस्तक में किया है ।

मुखर्जी (1993) आकाशवाणी दिल्ली ने बाल श्रम की बढ़ती समस्या पर चिंतन करते हुए बाल श्रम समस्या पर अध्ययन किया। बाल श्रमिकों को निम्न परिस्थितियों मे अनेक प्रकार के कठिन कार्य करने पड़ते हैं । इन बच्चों की तरफ कभी ख्याल करते हमने सोचा है कि ये मासूम, नैनिहाल बच्चे छोटी सी उम्र मे किस प्रकार मानसिक तथा शारीरिक कष्ट झेलते हैं । बालश्रम करना बाल श्रमिकों के लिए तो अभिशाप है ही साथ ही यह समस्या समाज और देश के लिए कलंक है। दिल्ली दूरदर्शन 1993 में बाल श्रमिकों को श्रम मंत्रालय के अन्तर्गत इस गोष्ठी का आयोजन किया जिसमें देश मे बढ़ते बाल श्रमिकों की संख्या पर चिंतन किया गया ।

मुस्तफा एवं शर्मा (1996) ने बाल श्रमिकों के अध्ययन में यह बताया है कि बाल श्रमिकों की स्थिति की सहमति द्वारा उन्हें श्रमरूपी जाल में कार्य करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है । वर्तमान युग में भारत में आर्थिक तथा सामाजिक आवश्यकताओं ने बालकों को श्रम करने के लिए विवश किया है । देश में अशिक्षा, ज्ञान का अभाव, जागरुकता की कमी इन्हीं कारणोंवश बाल श्रमिक बन अपने अधिकारों से वंचित रह जाते हैं । बालकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक नहीं कराया जायेगा तब तक वह अपना शोषण होने ही देगें । अध्ययन में इस तथ्य

को भी स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि यह बालकों के साथ-साथ देश को भी नुकसान पहुँचा रहा है ।

मृदुला एवं चंद (1999) ने बालकों के विकास में परिवार की जो भूमिका है उसका वर्णन किया है । बालकों का विकास उसके समाजीकरण का ही प्रत्यक्ष फल होता है । समाजीकरण द्वारा ही बालक आगे बढ़ने के लिये तत्पर रहते हैं । इन्होंने बालकों के प्रति सही समाजीकरण के अभाव को बताया है कि समाज के कल्याण के लिये सही निर्देशन आवश्यक होता है । अपने अध्ययन में बालकों की दशा को दर्शाया है, बच्चों को बचपन से ही कमाऊपूत नहीं बल्कि पढ़ा-लिखाकर सफल कारीगर बनाए, जिससे वह परिवार तथा देश का नाम रोशन कर सकें ।

श्रीनिवास (2003) ने संयुक्त परिवार का अध्ययन संरचनात्मक एवं परिवर्तनशील प्रकृति के आधार पर किया है । उन्होंने संयुक्त परिवार की संरचना का अध्ययन अपनी पुस्तक रिलिजन एण्ड सोसायटी अमांग दी कूर्ग ऑफ साउथ इण्डिया में विस्तृत वर्णन किया है । उन्होंने कूर्ग समाज में संयुक्त परिवार का गहन क्षेत्रीय कार्य किया है । कूर्ग समाज में संयुक्त परिवार को ओक्का कहते हैं जिसमें लोगों की सदस्यता जन्म से होती है । पूर्वजों की जो संपत्ति होती है उस पर ओक्का के पुत्रों का अधिकार हो जाता है । श्रीनिवास ने अपने क्षेत्रीय अध्ययन के आधार पर कूर्ग समाज के लोगों में संयुक्त परिवार को जिस रूप में पाया है आज वह तीव्र गति से बदल रहा है । वास्तविक रूप में सामाजिक परिवर्तन के कारण संयुक्त परिवार की संरचना भी तीव्रता के साथ बदल रही है ।

पाण्डेय एवं पाण्डेय (2004) ने पुस्तक में नगरीय समाजशास्त्र नगर एवं जीवन के विभिन्न पक्षों एवं पहलुओं पर प्रकाश डाला है । आधुनिक भारतीय नगरों पर प्रभाव डालने वाले कारकों की चर्चा भी इस पुस्तक में की है । अनेक प्रकार की नगरीय समस्याओं अपराध, बाल अपराध, भिक्षावृत्ति, वेश्यावृत्ति, श्वेतपोश अपराध, मद्यपान एवं भ्रष्टाचार आदि पर वृहद रूप से प्रकाश डाला है । गंदी बस्तियों पर भी पूर्णरूपेण प्रकाश डाला है कि किस प्रकार नगरों की गंदी बस्तियाँ भयंकर समस्या का रूप धारण करती जा रही है । अंत में नगर के विभिन्न आयामों को भी पुस्तक में वर्णित किया है ।

मेहता (2004) ने बाल श्रमिकों की बढ़ती स्थिति को नियन्त्रित करने के लिए बाल नियोजन अधिनियमों का अध्ययन किया है । इन्होनें अपने अध्ययन में बाल नियोजन अधिनियम - 1938, बाल श्रम गिरवीकरण अधिनियम

- 1933, बंधित श्रम पद्‌वति अधिनियम - 1976 तथा मजदूरी करवाने वाले और कराने वाले व्यक्तियों पर अलग-अलग धाराओं के तहत जुर्मानों तथा सजाओं का वर्णन किया है । इस अध्ययन में बाल श्रमिकों पर होने वाले अपराधों को रोकने के लिए अधिनियमों द्‌वारा जनमानस को जागरुक कराने का प्रयास किया है ।

वर्मा (2004) ने अपने अध्ययन में स्पष्ट किया है कि बाल अधिकार विश्व के समक्ष अहम चुनौती है । बाल श्रमिक शोषण, अत्याचार एवं उत्पीड़न से पीड़ित हैं । सम्मानपूर्वक जीवन यापन बाल श्रमिकों के समक्ष दूभर हो गया है । प्रत्येक बालक का अधिकार है कि वह राष्ट्र एवं समुदाय के पास उपलब्ध संसाधनों को प्राप्त करे और उनका विकास ऐसे वातावरण में हो जहाँ स्वतंत्र, गरिमापूर्ण, शिक्षा प्राप्त कर पूर्ण नागरिक के रूप में स्वयं को विकसित कर सकें । इन्होंने समाज के समक्ष उन बालकों की परिस्थितियों को उजागर किया है, जो दुर्भाग्यवश जोखिमपूर्ण परिस्थितियों में कार्य करने को मजबूर हैं । बाल श्रम एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है जो बच्चों के विकास में बाधा उत्पन्न कर रही है । अगर भारत में बाल श्रमिकों की समस्या को हल करना है तो जिस प्रकार साक्षरता अभियान, पल्स पोलियों, जिस निष्ठा से काम करता है, उसी तरह बाल श्रमिकों की समस्या को सुलझाने के भी प्रयास किये जाए ।

सिंह एवं सिंह (2005) ने अपने अध्ययनों में बाल श्रमिकों के सामाजिक आन्दोलनों की घटनाओं, बालकों का शोषण, उत्पीड़न जैसी घटनाओं से जनमानस को जागरुक करने का प्रयास किया है । भारत सरकार द्‌वारा बालकों को मिलने वाले अधिकारों, उनके सम्मान, सुरक्षा का विशेष ध्यान रखने और उनके संरक्षण के लिए अनेक कानून तथा अधिनियम बनाए गए हैं परन्तु समाज में उन्हें लागू नहीं किया जाता है । इन्होनें अपनी पुस्तक में बालकों तथा श्रमिक आंदोलनों का स्पष्टतः वर्णन किया है कि बालकों कों भी समान आजादी व सम्मान मिलना चाहिये । भारतीय समाज में सामाजिक आंदोलनों को समाज के समक्ष प्रस्तुत किया है । इस पुस्तक में सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक व्यवस्था को बदलने तथा आंदोलनों को समग्र रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, जिसमें बाल श्रमिकों को सामाजिक न्याय मिल सके ।

कुमार (2005) ने अपनी पुस्तक में बाल मजदूरी नियंत्रित करने व बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाने के लिए समाधान अधिनियमों तथा बाल विकास का अध्ययन किया है । बालकों को श्रम के दौरान होने वाली समस्याओं के समाधान के लिए भारत सरकार द्वारा बनाये गये अधिनियमों बाल श्रम अनुबंध अधिनियम - 1993, मोटरपरिवहन कामगर अधिनियम - 1951, बाल रोजगार अधिनियम -1938, कारखाना अधिनियम - 1948, बीड़ी एवं सिगार श्रमिक अधिनियम - 1966 आदि अधिनियमों से समाज को अवगत कराने का पूर्ण प्रयास किया है । इलैक्ट्रोनिक मीडिया से बालकों पर पड़ने वाले सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभावों का विश्लेषणात्मक एवं मौलिक अध्ययन किया है । बालकों कों समाज में हो रहे अपराधों से बचाने के लिए इलैक्ट्रोनिक मीडिया ने उनके विकास के लिए जो भूमिका निभाई है उसका वर्णन इस पुस्तक में किया है ।

लवानिया एवं जैन (2006) ने अपने अध्ययन में नगरीय विकास की समस्याओं को उजागर किया है । इसके मौलिक आधारभूत ढाँचे, पर्यावरण, आवास, गंदी बस्तियाँ और बेरोजगारी की समस्या को बताने का प्रयास किया है । नगरीय समाज का अध्ययन कर उसमें हो रहे भ्रष्टाचार, नौकशाही व्यवस्था, गंदी बस्तियों का मनुष्यों पर पड़ने वाले प्रभावों, उसके दुष्परिणामों तथा निवारण के लिए उपायों को बताया है । सरल एवं सुबोध भाषा शैली में महत्वपूर्ण व पर्याप्त सामग्री संकलित की गई है । इस पुस्तक में परिवर्तन के संबंध में मूल बातों की जानकारी भारत के संदर्भ में परिवर्तन एवं विकास की चर्चा की है ।

शर्मा (2006) ने पारिवारिक जनों की धनोपार्जन के लिए बालकों के प्रति जो लालसा है उसका अध्ययन किया हैं । परिवार के सदस्यों की संख्या अधिक होने के कारण एक व्यक्ति परिवार की आवश्यकताओं को सुचारू रूप से संतुष्ट करने में असमर्थं होते हैं । ऐसी परिस्थितियों के उत्पन्न होने से व्यस्कों के अतिरिक्त बालकों को भी श्रम के क्षेत्र में अग्रसर होते देखा जा रहा है । इसी कारण पारिवारिक जन बालकों कों शिक्षा प्राप्त करने की बजाय श्रम करवाने के लिये भेजते हैं ।

प्रसाद (2007) ने बाल श्रमिकों एवं महिलाओं के संदर्भ में उनके जीवन की सच्चाई को उजागर किया है । इन्होनें इसी बात को आधार मानकर जनपद गाजीपुर, उत्तर प्रदेश के जखनिया विकासखण्ड का एक अध्ययन किया और

इन श्रमिकों की सामाजिक, आर्थिक समस्याओं का वर्णन किया है । प्रसाद जी ने अपनी पुस्तक में श्रमिकों की समस्याओं के समाधानों के लिये अनेक सुझावों तथा उनके भविष्य को सुधारने के प्रयासो का भी वर्णन किया है।

कुमार (2008) ने अपने अध्ययन में बाल श्रम की अवधारणा, बाल श्रम का अर्थ एवं परिभाषा का वर्णन करते हुए इन्होनें बाल श्रमिकों को मिलने वाली न्यूनतम मजदूरी व कठिन कार्य करने के पीछे विवशता का संक्षिप्त वर्णन दिया है । इन्होनें बताया है कि मालिकों द्वारा उनका शोषण किस प्रकार होता रहता है, बाल श्रम की समस्या को भारत के समस्त राज्यों, ग्रामीण, शहरी, संगठित तथा असंगठित सभी क्षत्रों में उजागर किया है और बताया है कि श्रम की समस्या राष्ट्रों में ही नहीं बल्कि इस ज्वलन्त समस्या से सम्पूर्ण विश्व जूझ रहा है । कुमार ने अपनी पुस्तक में अनुसूचित जाति के बाल श्रमिकों की श्रम के क्षेत्र में बढ़ोत्तरी, समाज में स्थान व उनकी सामाजिक, आर्थिक क्रियाओं को बताने का प्रयास किया है । अध्ययन में यह भी स्पष्ट किया है कि बाल श्रम आर्थिक समस्या के साथ-साथ सामाजिक समस्या भी है ।

सारदा एवं राजन (2009) ने बाल श्रमिको के संदर्भ में यह वर्णित किया है कि देश में बाल श्रमिकों पर हो रहे अत्याचारों को पूर्णरूप से समाप्त करने की आवश्यकता है । जनमानस को इस सच्चाई से अवगत कराने पर बल दिया है कि बालक ही देश के भविष्य हैं, उन्हें श्रमरूपी दलदल से निकालकर, शिक्षा की ओर अग्रसर कर, जागरुकता प्रदान करें, जिससे वे आगे बढ़ते जाए और देश को उन्नति के मार्ग पर ले जाने में सफलता प्राप्त कर सकें । बालकों के अधिकारों के प्रति चिन्ता को व्यक्त किया है ।

शिवहरे एवं दुबे (2010) ने अपनी पुस्तक में बाल श्रमिकों पर हो रहे अत्याचारों को वर्णित किया है । बाल श्रम समाज का एक बड़ा मुद्दा है । बालकों का होटलों, कारखानों, दुकानों व अन्य कार्यों में बचपन छिन रहा है । हमारे समाज में बालकों की दुखमय स्थिति का वर्णन किया है । कार्य के घण्टों, कार्य के उपरान्त उनकी दुर्दशा, श्रम करने के पीछे मजबूरियों को पुस्तक में अवतरित किया है । किस प्रकार बालकों के साथ उनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है , पढ़ने-लिखने, खेलने-कूदने की उम्र में नन्हे बालक मेहनत करने को मजबूर हैं । बालकों के

साथ ऐसा करना अन्याय है, उन्हें भी स्वतंत्रतापूर्वक स्वयं के अनुसार जीवन जीने का पूर्ण हक है । बालकों के प्रति उदासीनता को व्यक्त किया है ।

आहूजा (2016) ने अपनी पुस्तक में सामाजिक समस्याओं का अध्ययन किया है । बेरोजगारी, निर्धनता, बाल अपराध, घरेलु हिंसा, बाल दुर्व्यवहार, बाल श्रम, नगरीकरण तथा वैश्वीकरण का जो प्रभाव हमारे समाज पर पड़ रहा है उसका वर्णन किया है । भारत में बालकों के साथ अपराध, उत्पीड़न, भ्रष्टाचार और हिंसा की जा रही है । वैश्वीकरण के दौर में बाल श्रमिकों का शोषण हो रहा है । बालकों के साथ होने वाली अनैतिक घटनाओं का वर्णन इस पुस्तक में किया है ।

जैन (2017) इन्होने उत्तर भारत में पितृवंशीय परिवार का अध्ययन किया है । उत्तर भारत में अधिकांश क्षेत्रों में पितृवंश परम्परा को मान्यता देने वाले सामाजिक समूह रहते हैं । उत्तर भारत में परिवार, विवाह और नातेदारी वंशक्रम दृष्टिकोण से प्रकार्यवाद तथा संरचनात्मक प्रकार्यवादी दृष्टि से अध्ययन किया है । उत्तर भारत में एक पितृवंश के वंशज एक क्षेत्र में पास-पास घरों में रहते हैं और समान वंश व समान क्षेत्र के आधार पर नातेदारी समूह की रचना होती है । जैन ने अध्ययन में वंशक्रम के साथ पद के उत्तराधिकारी तथा सम्पत्ति के हस्तांतरण का वर्णन भी किया है । संयुक्त परिवार अथवा वंशपरम्परा के सदस्य अपनी परिस्थिति से जुडे अधिकारों के प्रति क्रियाशील रहते हैं, सदस्य मिल-झुल कर कार्य करते हैं और पिता के बाद पुत्र सम्पत्ति का उत्तराधिकारी होता । पितृवंश के सदस्यों में सहयोग के साथ-साथ संघर्ष की विशेषता भी पायी जाती है क्योंकि अपने हितों की हानि होने पर आपसी झगड़ा कर देते हैं लेकिन संयुक्त परिवार की संरचना पर संघर्ष का विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है । समानवंश नातेदारी में वर्गात्मक और वर्णनात्मक रूपों का वर्णन किया है ।

मलिन बस्तियाँ प्रारम्भ से ही विद्वानों तथा सर्वेक्षण कर्ताओं के जिज्ञासा का विषय रही है। मलिन बस्तियों मे निवास करने वाले महिला-पुरुष के सामाजिक , आर्थिक जीवन को लेकर अनेक अध्ययन हुए हैं साथ ही बच्चों के (बाल श्रमिकों) के सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षिक स्थितियों, कार्य की दशाओं, परिवेश पर अनेक अध्ययन किये गये है। उपर्युक्त सभी अध्ययनों मे मलिन बस्तियों में बाल श्रमिकों के पारिवारक जीवन,

कार्य की प्रकृति, आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक तथा शैक्षणिक स्थितियों का अध्ययन किया गया है । सभी अध्ययनों में मलिन बस्तियों और बाल श्रमिकों की समस्याओं के संदर्भ मे पूर्व अध्ययन के द्वारा सामाजिक, पारिवारिक, नैतिक, मनोवैज्ञानिक, मानसिक, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के सम्बन्ध में इनकी स्थिति पर प्रकाश डाला गया है, किन्तु मलिन बस्तियों के बाल श्रमिकों के पारिवारिक समायोजन से सम्बन्धित विभिन्न पक्षों पर दृष्टि डालने वाले अध्ययन का सर्वथा अभाव है । इसी दृष्टि से इस विषय को अध्ययन के लिए चुना गया है ।

भारतीय समाज में परिवार से संबंधित जो अध्ययन हुये हैं, उन अध्ययनों में समाजशास्त्रियों नें संरचनात्मक प्रकार्यवादी परिप्रेक्ष्य को अधिक महत्व दिया है जिसके आधार पर परिवार की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, नैतिक तथा सांस्कृतिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया है । इसी आधार पर मलिन बस्ती में रहने वाले बाल श्रमिकों के पारिवारिक समायोजन के अध्ययन के लिये संरचनात्मक प्रकार्यवादी परिप्रेक्ष्य को चुना गया है ।

समस्या कथन -

विश्व में भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7 वे स्थान पर आता है । भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलीयन वर्ग किलोमीटर है जो विश्व का 2.4 प्रतिशत है जो एक बड़ी आबादी को अपने अन्दर समेटे हुए है । वर्तमान समय में शिक्षा के प्रति जागरुकता तेजी से बढ़ी है, प्रत्येक माता-पिता अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं ताकि आने वाले समय में वह सभी परिस्थितियों का डटकर सामना कर सकें और अपने साथ अपने परिवार की सारी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम हो सकें । जागरूकता के बाद आज भी अनेकों एसे परिवार है जो बालश्रम करवाने के लिए मजबूर हैं । भुखमरी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी तथा गरीबी ऐसे कारण हैं तो बालकों को श्रम में लगाए हुए है और शिक्षा से वंचित रखते हैं । भारत में बाल श्रम की समस्या तीव्र गति से बढ़ती जा रही है। बच्चों को 10 से 12 घण्टे श्रम करना पड़ता है और मजदूरी भी कम मिलती है, जो उम्र बच्चों की शिक्षा प्राप्त करने, अच्छे सामाजीकरण कर उज्ज्वल भविष्य की होती है, उसी उम्र में बालक श्रमिक बनने के लिए वेबस व मजबूर है । एसी स्थिति में उनका शारीरिक व मानसिक संतुलन अवरुद्ध हो जाता है। बालश्रम इसी गति में दिनोदिन बढ़ता रहा तो निश्चय ही देश का भविष्य संकट में पड़ जाएगा । मलिन बस्ती मे बाल श्रमिकों को शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक

और आर्थिक अनेक समस्याओं से गुजरना पड़ रहा है । प्रस्तावित अध्ययन मलिन बस्ती में रहने वाले बाल श्रमिकों पर आधारित होगा।

अध्ययन का महत्व -

वर्तमान समय में बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त कर देश का उज्ज्लव भविष्य बनाने वाले कर्णधार हैं, बालकों को श्रम करना पड़ रहा है लेकिन उनको तो देश का भविष्य सवारना है उसे आगे तरक्की के मार्ग पर ले जाना है । भारत देश गुलामी से आजाद होकर स्वतंत्र तो हो गया लेकिन बच्चे अभी भी स्वतंत्र नही हैं । इस भौतिकवादी, औद्यौगिकवादी, और असमानतावादी विकासशील भारत में बच्चों की उम्र पाठशाला अर्थात स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने की होती है, उन्हें बचपन से ही पढ़ने-लिखने, खेलने-खिलाने, तथा हँसने-हँसाने की बजाय श्रम के लिए अपनी खुशी समाप्त करनी पड़ती है। सामाजीकरण तथा शिक्षा के अभाव के कारण बच्चे ज्ञान से वंचित रह जाते हैं । बच्चों को अनेक प्रकार की सामाजिक, आर्थिक तथा पारिवारिक चुनौतियों का समाना करना पड़ता है। मलिन बस्तियों में रहकर बच्चे अपना जीवन गरीबी में जीने के लिए मजबूर हैं । भारतीय समाज मे मलिन बस्तियों तथा उनमें रहने वाले बाल श्रमिकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। उपरोक्त अध्ययनों से ज्ञात होता है कि मलिन बस्तियों में रहने वाले बाल श्रमिकों के पारिवारिक जीवन को लेकर कम ही अध्ययन हुए हैं चूकि परिवार समाज की मूल संस्था है । इन्हीं तथ्यो को ध्यान में रखकर इस अध्ययन के द्वारा मलिन बस्तियों में रहने वाले बाल श्रमिकों के पारिवारिक जीवन तथा जागरुकता के साथ बालकों को उनके अधिकारों के सम्बन्ध में उपयोगिता को समझाने का प्रयास किया जायगा । इसके साथ ही मलिन बस्तियों मे बाल श्रमिकों के अधिकारों के प्रति जागरुकता को समाज के सम्मुख प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाएगा, जिससे समाज बाल श्रमिकों के अधिकारों के प्रति संवेदनशील हो सकें । प्रस्तावित अध्ययन मलिन बस्ती के 5 से 17 वर्ष तक के बाल श्रमिकों पर केन्द्रित है ।

उद्देश्य -

- मलिन बस्ती में रहने वाले बाल श्रमिकों के कार्य स्वरूप का अध्ययन करना ।

- मलिन बस्ती में रहने वाले बाल श्रमिकों के पारिवारिक समायोजन में शिक्षा की चुनौतियों का अध्ययन करना।
- मलिन बस्ती के बाल श्रमिकों के पारिवारिक समायोजन में स्वास्थ्य समस्याओं का अध्ययन करना ।
- मलिन बस्ती में रहने वाले बाल श्रमिकों के पारिवारिक सदस्यों के साथ समायोजन का अध्ययन करना ।
- मलिन बस्ती में रहने वाले बाल श्रमिकों के सुधार हेतु सरकारी प्रयासों का अध्ययन करना ।

परिकल्पना -

- मलिन बस्ती में रहने वाले बाल श्रमिकों के कार्य स्वरूप में विभिन्नता पाई जाती है ।
- मलिन बस्ती में रहने वाले बाल श्रमिकों की स्थिति पर पारिवारिक समायोजन का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है ।
- मलिन बस्ती में रहने वाले बाल श्रमिकों के पारिवारिक समायोजन के दौरान मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है ।
- मलिन बस्ती में रहने वाले बाल श्रमिकों के पारिवारिक सदस्यों में मनमुटाव अधिकांश पाया जाता है ।
- मलिन बस्ती में रहने वाले बाल श्रमिकों को सरकारी सुविधाओं का पूर्ण लाभ नहीं मिल पाता है ।

शोध पध्दति -

देश मे बाल मजदूरों की संख्या तीव्र गति से बढ़ती जा रही है । 2011 की जनगणना में भारत में बाल मजदूरों की संख्या 1.01 करोड़ है, जिसमें 56 लाख लड़के तथा 45 लाख लड़किया है । उत्तर प्रदेश में 21.80 लाख बाल मजदूर हैं । आगरा शहर में बाल श्रमिकों की संख्या 12943 और सदर तहसील में 1231 बाल श्रमिक हैं । आगरा शहर में मलिन बस्तियों की घोषित संख्या 213 तथा अघोषित संख्या 204 हैं जिनमें से सदर तहसील की दो बस्तियाँ (गोकुलपुरा और आलमगंज-घोषित मलिन बस्तियाँ) को अध्ययन के लिये चुना हैं जिनमें बच्चों की कुल जनसंख्या क्रमशः 2169 तथा 372 हैं जिसमें बाल श्रमिकों की कुल जनसंख्या क्रमशः 269 तथा 77 हैं ।

शोध प्रचना-

प्रस्तुत अध्ययन वर्णनात्मक एवं व्याख्यात्मक शोध प्रचना पर आधारित होगा। जिसमें तथ्यों को संकलित कर उनका वर्णन किया जाएगा तथा संकलित तथ्यों के मध्य कार्य कारण सम्बन्धों के आधार पर मलिन बस्ती में बाल श्रमिकों के पारिवारिक जीवन के आधार पर उनके अधिकारों के प्रति दायित्वों की व्याख्या की जाएगी।

अध्ययन क्षेत्र -

प्रस्तावित अध्ययन का क्षेत्र उत्तर प्रदेश राज्य का आगरा शहर है । यह यमुना नदी के तट पर स्थित है आगरा भारत का 23 वाँ सर्वाधिक जनसंख्या वाला तथा उत्तर प्रदेश का चौथा शहर है । आगरा शहर में मलिन बस्तियों की घोषित संख्या 213 तथा आघोषित 204 है जिनमें से अध्ययन क्षेत्र के रूप में (गोकुलपुरा और आलमगंज-घोषित मलिन बस्तियों) का चुनाव किया गया है जिनकी कुल जनसंख्या क्रमशः 6852 तथा 2185 है (जिला शहरी विकास संस्था, आगरा के अनुसार)

अध्ययन का समग्र -

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार आगरा जनपद की कुल जनसंख्या 4,18797 है । अध्ययन का समग्र आगरा शहर के (गोकुलपुरा और आलमगंज) दो बस्तियाँ हैं जिनकी कुल जनसंख्या क्रमशः 6852 तथा 2185 है (जिला शहरी विकास संस्था, आगरा के अनुसार) ।

निदर्शन -

प्रस्तावित अध्ययन को पूरा करने के लिए उद्देश्यपूर्ण निदर्शन का प्रयोग कर आगरा शहर के (गोकुलपुरा और आलमगंज) दो बस्तियों में से 200 उत्तरदाताओं का चयन किया जाएगा ।

तथ्य संकलन के स्त्रोत-

प्रस्तावित अध्ययन को पूर्ण करने के लिए प्राथमिक तथा द्वितीयक स्त्रोतों का प्रयोग किया जाएगा । प्राथमिक स्त्रोतों में सूचनादाताओं से सम्पर्क स्थापित कर आवश्यक तथ्यों को एकत्रित किया जाएगा । इसके अन्तर्गत साक्षात्कार, अवलोकन, वैयक्तिक अध्ययन आदि का प्रयोग किया जायेगा । द्वितीयक स्त्रोतों में विभिन्न

प्रकार के प्रकाशित अभिलेख जैसे - समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, शोधपत्रों, पुस्तकों, इण्टरनेट और सरकारी अभिलेख जिला गजेटियर आदि के माध्यम से तथ्यों को एकत्रित किया जाएगा।

अध्ययन संयंत्र -

प्राथमिक तथ्यों के संकलन हेतु अध्ययन संयंत्र के रूप में अध्ययन के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग करने का निश्चय किया है।

पूर्वगामी सर्वेक्षण द्वारा अध्ययन संयत्र की जाँच -

अध्ययन संयंत्र के निर्माण के बाद इसकी जाँच करने कि लिए उत्तरदाताओं पर अध्ययन संयंत्र का प्रयोग कर संयंत्रो की उपयुक्ता तथा प्रभावशीलता की जाँच की जाएगी । जिसके द्वारा प्रश्नों की प्रासंगिकता और सटीकता की जाँच की जाएगी तथा प्रश्नों में पाई गयी कमी को दूर किया जाएगा।

तथ्य संकलन -

अध्ययन संयंत्र की जाँच के पश्चात् क्षेत्रीय कार्य के द्वारा उत्तरदाताओं से प्राथमिक तथ्यों का संकलन किया जाएगा और साथ ही विभिन्न स्त्रोतों के माध्यम से आवश्यकतानुसार द्वितीयक तथ्यों का भी संकलन किया जाएगा।

तथ्यों का सम्पादन एवं संकेतन -

तथ्य संकलन के पश्चात् संकलित तथ्यों का सम्पादन कर उनका संकेतन भी किया जायेगा । तथ्यों का सम्पादन एंव संकेतन तथ्यों को क्रमबध्द करना, व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करना, तथ्यों का सम्पादन कहलाता है।

तथ्यों का वर्गीकरण, सारणीयन, विश्लेषण, सामान्यीकरण एवं चित्र में प्रदर्शन -

तथ्यों को उनकी प्रकृति के अनुसार समानता तथा असमानता के आधार पर विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया जाएगा तत्पश्चात् उनका विश्लेषण कर निष्कर्षों का सामान्यीकरण किया जायेगा । अंत में सामान्यीकरण के पश्चात् प्राप्त निष्कर्षों को आकर्षित एवं प्रभावशीलता के आधार पर तथ्यों का चित्रमय तथा रेखाचित्रों में प्रदर्शन किया जाएगा।

प्रस्तावित अध्ययन सूची -

प्रथम अध्याय - प्रस्तावना

- प्रस्तावना
- समस्या का कथन
- अध्ययन का महत्व
- साहित्य का पुनर्वालोकन
- अवधारणाओ का स्पष्टीकरण
- अध्ययन के उद्देश्य

द्वीतीय अध्याय - शोधपध्दति एवं शोध प्ररचना

- अध्ययन की परिकल्पना
- शोध प्ररचना
- अध्ययन क्षेत्र
- अध्ययन का समग्र
- निदर्शन
- अध्ययन संयंत्र
- पूर्वगामी सर्वेक्षण द्वारा अध्याय संयंत्र की जाँच
- तथ्य संकलन
- तथ्यों का सम्पादन एंव संकेतन
- तथ्यों का वर्गीकरण, सारणीयन, विश्लेषण, सामान्यीकरण एवं चित्रमय प्रदर्शन

तृतीय अध्याय

- मलिन बस्ती में रहने वाले बाल श्रमिकों के कार्य स्वरूप का अध्ययन करना ।

चतुर्थ अध्याय

- मलिन बस्ती में रहने बाले बाल श्रमिकों के पारिवारिक समायोजन में शिक्षा की चुनौतियों का अध्ययन करना ।

पंचम अध्याय

- मलिन बस्ती के बाल श्रमिकों के पारिवारिक समायोजन में स्वास्थ्य समस्याओं का अध्ययन करना ।

षष्ठ अध्याय

- मलिन बस्ती में रहने वाले बाल श्रमिकों के पारिवारिक सदस्यों के साथ समायोजन का अध्ययन करना ।

सप्तम अध्याय

- मलिन बस्ती में रहने वाले बाल श्रमिकों के सुधार हेतु सरकारी प्रयास ।
- उपकल्पना की जाँच
- निष्कर्ष
- क्षेत्र अनुभव एवं आगामी अध्ययन हेतु सुझाव
- संदर्भ ग्रंथ सूची
- साक्षत्कार / अनुसूची

संदर्भ ग्रंथ सूची -

- गिरी, वी0 वी0, 1958, लेबर प्रोब्लम्स इन इण्डिया, बम्बई, एशिया पब्लिशिंग हाऊस
- चन्द्र, रमेश, 1961, इन्फेक्ट ऑफ लॉ इनकम ऑन दा साइज ऑफ लेबर कोर्स एण्ड इनइम्प्लायमेंट इन इण्डिया, इण्डियन लेबर जर्नल्स
- रॉस, एल0, 1961, द हिन्दू फैमिली इन इट्स अर्बन सैटिंग, टोरेंटो, ऑक्सफॉर्ड यूनिवर्सिटी

- देसाई, आई0 पी0, 1964, सम ऑस्पेक्ट्स ऑफ फैमिली इन महुआ, बम्बई, एशिया पब्लिशिंग हाउस
- त्रिपाठी, जगदीश नारायण, 1965, श्रम सामाजिक कल्याण एवं सुरक्षा, कानपुर, किताब घर पब्लिकेशन
- देसाई, ए0 आर0, 1966, सोशियल बैकग्राउण्ड ऑफ इण्डियन नेशनेनिज्म, बम्बई, पॉप्यूलर प्रकाशन
- गोरे, एम0 एस0, 1968, अर्बानइजेशन एण्ड फैमिली चेंज, बाम्बे, पॉप्यूलर प्रकाशन
- पामदत्त, रजनी, 1970, इण्डिया टूडे, कलकत्ता, मनीषा पब्लिकेशन्स
- वर्मा, ओ0 पी0, 1973, भारतीय सामाजिक व्यवस्था, कानपुर, विकास प्रकाशन
- शाह, ए0 एम0, 1973, द हाउसहोल्ड डाइमेंसन ऑफ द फैमिली इन इण्डिया, दिल्ली, ओरियंट लॉगमैन
- बेब, पॉल, डी0, 1975, सोशल लाइफ इन इण्डियन स्लम, प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली, विकास पब्लिशिंग हाउस
- मुखर्जी, आर0 के0, 1975, एक्सप्लोरेशन इन द फैमिली एण्ड अदर एसेज, बॉम्बे, थेकर एण्ड कम्पनी
- घोष, शंकर, 1978, चेंजिंग इण्डिया, दिल्ली, अलाईट पब्लिकेशन
- कुलश्रेष्ठ, जे0 सी0, 1978, चाइल्ड लेबर इन इण्डिया, नई दिल्ली, आशीष पब्लिशिंग हाउस
- सिंह, एस0 डी0 और पठान, के0 पी0, 1982, द स्लम चिल्ड्रेन ऑफ इण्डिया, न्यू दिल्ली, दीप एण्ड दीप पब्लिकेशन
- कॉलेण्डा, पी0 एम0, 1987, रीजनल डिफरेंसेज इन फैमिली स्ट्रक्चर इम इण्डिया, जयपुर, रावत पब्लिकेशन
- राव, के0 रंगा एवं राव, एम0 एस0 ए0, 1984, सिटीज एण्ड स्लम, ए स्टडी ऑफ स्कवेटर्स सेटलमेंट इन द सिटी ऑफ विजयवाङा, न्यू दिल्ली, कॉनसेप्ट पब्लिशिंग कमपनी
- कॉलेण्डा, पी0 एम0, 1987, रीजनल डिफरेंसेज इन फैमिली स्ट्रक्चर इन इण्डिया, जयपुर, रावत पब्लिकेशन
- धदावे, एम0 एस0, 1989, सोसियोलॉजी ऑफ स्लम, न्यू दिल्ली, आरकीव्स बुक्स
- त्रिपाठी, एस0 के0, 1989, चाइल्ड लेबर इन इण्डिया, नई दिल्ली, डिस्कवरी पब्लिशिंग हाउस
- शाह, नाजीर अहमद, 1992, भारत में बाल श्रम, प्रा. लिमी., अनमोल पब्लिकेशन्स

- मुखर्जी, श्यामा, 1993, बाल श्रम समस्या, आगरा, ओरियन्टल पब्लिशिंग हाउस
- मुस्तफा, मोहम्मद एवं शर्मा, ओकर, 1996, भारत में बाल श्रम एक कड़वा सच, दरियागंज, नई दिल्ली दीप एण्ड दीप पब्लिकेशन्स
- लवानिया, एम0 एम0, 1998, भारत का समाजशास्त्र, जयपुर, रिसर्च पब्लिकेशन्स
- सिंह, मृदुला एवं चंद, नानक, 1999, समाजकल्याण, समाजकल्याण बोर्ड, महिला एवं बाल विकास विभाग मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार मासिक पत्रिका, एशिया नई दिल्ली, समाजकल्याण भवन बी - तारा क्रिसेंट इंस्टिट्यूशनल
- मिश्रा, एल0, 2000, भारत में बाल श्रम, नई दिल्ली, ऑक्सफोर्ड युनिवर्सिटी प्रेस
- गोयल, सुनील, संगीता, 2002, भारतीय समाज, जयपुर, आर0 बी0 एस0 ए0 पब्लिकेशर्स
- दोषी, सम्मभूलाल एवं जैन, प्रकाश चन्द्र, 2002, भारतीय समाज संरचना और परिवर्तन, जयपुर, नेशनल पब्लिशिंग हाऊस
- सैन, राजकुमार एवं गुप्ता, आशीष दास, 2003, भारत में बाल श्रमिकों की समस्यायें, नई दिल्ली, दीप एण्ड दीप पब्लिकेशन्स
- राय, अरुण एवं स्वर्णकार, नंदलाल, 2003, भारत में जनहित याचिका और मानव अधिकार, नई दिल्ली, राधा पब्लिकेशन्स
- श्रीनिवास, एम0 एन0, 2003, रिलीजन एण्ड सोसायटी अमांग द कूर्गस ऑफ साऊथ इण्डिया, इण्डया, प्रकाशक ओ0 यू0 पी0 इण्डिया
- पाण्डेय, गणेश और कपाण्डेय, अरूणा, 2004, नगरीय समाजशास्त्र, नई दिल्ली, राधा पब्लिकेशन
- वर्मा, सवलिया बिहारी, 2004, ग्रमीण विकास, जयपुर, आविष्कार पब्लिशर्स
- मेहता, चेतन सिंह, 2004, महिला एवं कानून, नई दिल्ली, आशीष पब्लिकेशिंग हाउस
- आहूजा, राम, 2004, भारतीय सामाजिक व्यवस्था, जयपुर, रावत पब्लिकेशन्स

- पाण्डेय, योगेश कुमार, 2005, इलैक्ट्रोनिक मीडिया एवं बाल विकास, नई दिल्ली, सत्यम् पब्लिशिंग हाऊस
- कुमारी, आशा, 2005, सामाजिक परिवेश में बाल विकास, नई दिल्ली, क्लासिकल पब्लिशिंग कम्पनी
- सिंह वी0 एन0 एवं सिंह, जनमेजय 2005, भारत में सामाजिक आन्दोलन, जयपुर, नई दिल्ली, रावत पब्लिकेशन्स
- पारीक, आशा, 2006, बाल विकास एवं पारिवारिक संबंध, जयपुर, कॉलेज बुक डिपो
- त्रिपाठी, एस0 एन0 एवं विशोई, के0 एन0, 2006, बाल श्रम, नई दिल्ली, सोनाली पब्लिकेशन्स
- शर्मा, के0 एल0, 2006, भारतीय सामाजिक संरचना एवं परिवर्तन, नई दिल्ली, रावत पब्लिकेशन्स
- शर्मा, ऊषा, 2006, बाल श्रम, नई दिल्ली, कृष्ण मित्तल पब्लिकेशन
- शुक्ला, सी0 के0, एवं अली, एस0 ,2006, बाल श्रम सामाजिक, आर्थिक आयाम, नई दिल्ली, स्वरूप एण्ड सन्स पब्लिकेशन
- संध्या, तपन कुमार, 2006, बाल श्रमिक उन्मूलन, नई दिल्ली, दीप एण्ड दीप पब्लिकेशन
- लवानिया, एम0 एम0 एवं जैन, शशी के0, 2006, परिवर्तन एवं विकास का समाजशास्त्र, जयपुर, रिसर्च पब्लिकेशन्स
- जैन, एम0 के0, 2007, शोध विधियाँ, यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन्स
- श्रीवास्तव, मनीष कुमार, 2007, बाल श्रमिक एक सामाजिक अभिशाप, कुरूक्षेत्र, नई दिल्ली, निर्माण भवन ग्रामीण
- प्रसाद, गोविंद, 2007, महिला एवं बाल विकास सामाजिक समस्याएँ, समाधान एवं भाविदृष्टिकोण, नई दिल्ली, डिस्कवरी पब्लिशिंग हाउस
- कुमार, विनोद, 2008, अनुसूचित जाति के बाल श्रमिक, वाराणसी, कला प्रकाशन
- सारदा, डी0 एवं राजन, एन0, 2009, बालकों के अधिकार एवं युवा जीवन, नई दिल्ली, डिस्कवरी पब्लिशिंग हाउस

- शिवहरे, रोली एवं दुबे, प्रशांत, 2010, बाल श्रम, प्रकाशक - विकास संवाद
- आहूजा, राम, 2016, सामाजिक समस्याएँ, जयपुर, नई दिल्ली, रावत पब्लिकेशन
- जैन, शोभिता, 2017, भारत में परिवार, विवाह और नातेदारी, जयपुर, नई दिल्ली, रावत पब्लिकेशन्स